न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 55/2019

1. रामेश्वर पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी सिंधाना तहसील बुहाना।
2. बेगराज पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी सिंधाना तहसील बुहाना।
3. झाबर पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी सिंधाना तहसील बुहाना (मृत्तक)
   3/1 सन्तोष पत्नी झाबर
   3/2 सुरेन्द्र पुत्र झाबर
   3/3 सत्येन्द्र पुत्र झाबर
   3/4 राजबाला पुत्री झाबर
   3/5 सुनीता पुत्री झाबर
   3/6 अनिता पुत्री झाबर
   समस्त जाति माली निवासी सिंधाना तहसील बुहाना।

..........वादीगण

बनाम

1. शेरखान पुत्र इमामुदीन जाति लुहार निवासी सिंधाना तहसील बुहाना।
2. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

दिनांक :– 06.12.2021

(1). वादीगण का वादपत्र इस आशय का रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम सिंधाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 1076 रकबा 30 बीधा 17 बिस्वा के खातेदार वादी संख्या 1 रामेश्वर हिस्सा 1/4, रिछपाल पुत्र श्योराम हिस्सा 1/4, दुलीचंद पुत्र नन्दा हिस्सा 1/4, डुगां, दीना पुत्र श्योराम हिस्सा 1/4 के खातेदार थें। वादी संख्या 1 के साथ उसके भाई वादी संख्या 2, 3 भी काबिज कास्त थे। गत खसरा नम्बर 1076 में से 3 बिस्वा भूमि पर वादीगण संयुक्त रूप से अलग से काबिज थे।
2. यह कि ग्राम सिंधाना स्थित भूमि गत खसरा 1078 रकबा 58 बीधा 19 बिस्वा गै.मू.टीबा की भूमि शेरखान पुत्र इमामुदीन ... के नाम थी जिसमें 6 बीधा 1 बिस्वा भूमि वादीगण ने शेरखान के कब्जे पर सं. 2011 में ली थी उसके बाद से लगातार काबिज रहे है वर्तमान में भी वादीगण काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chauhan
Date: 2021.12.23 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

3. यह कि सन् 1955 में जब राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागु हुआं तो वादीगण धारा 19 राज. कास्तकारी अधिनियम के अनुसार इस भूमि के खातेदार बन गये थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह भूमि शेर खान पुत्र इमामुद्दीन के नाम दर्ज रही । लेकिन मौके पर वादीगण का निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज रहे है। लगान करते रहे। पहले शेर खान को लगान का भुगतान किया उसकी मृत्यु के बाद राज्य सरकार को लगान का भुगतान करते रहे है।
4. यह कि शेर खान पुत्र इमामुद्दीन की नाऔलाद मृत्यु हो गई लेकिन यह भूमि खातेदारी में उसी के नाम रही है। मौके पर वादीगण पूर्व की भांति काबिज रहे है।
5. यह कि वादीगण भूमि गत खसरा नम्बर 1078 में 6 बीध 1 बिस्वा रकबा पर काबिज थे उसके गत खसरा नम्बर 1078 / 3 रकबा 6 बीधा 1 बिस्वा कायम किये गये थे। गत खसरा नम्बर 1076 के 3 बीधा रकबा पर वादीगण का कब्जा था उसके खसरा नम्बर 1076 / 3 रकबा 3 बिस्वा कायम किये गये लेकिन इसकी खातेदारी उक्त शेरखान के नाम दर्ज रही जबकि शेरखान की मृत्यु हो चुकी थी। शेरखान की मृत्यु सं. 2015 के लगभग नाऔलाद अविवाहित हो चुकी है।
6. यह कि गत खसरा नम्बर 1076 / 3 एवं 1078 / 3 के हाल बन्दोबस्त ने खसरा नम्बर 1944 / 2 रकबा 0.94 है. कायम किये उसके बाद जब सिंधाना से नया राजस्व ग्राम ढाणा सृजित किया गया तो बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 1944 / 2 के नये खसरा नम्बर 148 बनाये गये। लेकिन इसकी खातेदारी उक्त शेरखान के नाम ही दर्ज कर दी गई। मौके पर आज तक वादीगण ही काबिज कास्त है।
7. यह कि वादीगण वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 है. पर सम्वत 2011 से निरन्तर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज है। खातेदार बन चुके है। राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज नही हुआं इसलिए वादीगण के लिए अपने खातेदार अधिकारों की धोषणा के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक है।
8. यह कि वाद वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 है वादीगण बहिस्सा बराबर खातेदार बन चुके है। लेकिन वादीगण का नाम इस भूमि की खातेदारी दर्ज नही होने से वादीगण को ऐसी अपूतनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मुल्याकंन नही किया जा सकता है।

वादीगण ने वादपत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क). कि वाके ग्राम सिंधाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार कस्तकार धोषित किया जाकर वर्तमान दर्ज प्रविष्टियां हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करे।

(2). दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल की गयी। प्रतिवादी सं. 1 त[illegible] प्राप्त हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु लगभग 75 वर्ष पूर्व हो [illegible] था गांव में पुछतास करने पर मौत बिरानो के द्वारा बताया [illegible] हो चुकी है। इसके कोई उत्तराधिकारी नही है। अ[illegible] जाती है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार बुहाना से मौ[illegible] की गई। तहसीलदार बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
[illegible] झुंझुनूं (राज.)

मौका जांच में बताया कि ग्राम सिंधाना के हाल खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 है. की खातेदारी शेरखान पुत्र इमामुद्दीन जाति लुहार निवासी सिंधाना के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो गत खसरा नम्बर 1076/2 व 1078/3 से बना है। गत गिरदावरी सं. 2008 से 2033 तक वादीगण के परिवार के सदस्यों के नाम से गिरदावरी में अंकित है। आज दिनांक को भी वादीगण का कब्जा कास्त है। मौके पर खसरा नम्बर 148 में पुराना मकान बना हुआं है। जो वादीगण का ही है। खसरा नम्बर 148 के पडौसी खेत के खातेदारो ने भी वादीगण का कब्जा होना बताया।

(3). वादीगण की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2062–65 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–62 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2050–53 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2046–49 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2043 प्रदर्श–6, भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श– 8, भू– प्रबन्ध विभाग की खसरा पत्रक प्रदर्श – 9, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 10, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 11, भू– निष्क्रान्त रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श– 12, जमाबंदी खतौनी सं. 2029–32 प्रदर्श–13, जमाबंदी खतौनी सं. 2015 प्रदर्श–14, जमाबंदी खतौनी सं. 2015 प्रदर्श–15, जमाबंदी खतौनी सं. 2015 प्रदर्श–16, जमाबंदी खतौनी सं. 2012 प्रदर्श–18, जमाबंदी खतौनी सं. 2012 प्रदर्श–19, जमाबंदी खतौनी सं. 2012 प्रदर्श–20, जमाबंदी खतौनी सं. 2015 प्रदर्श–21, मिसल हकियत सं. 1999 प्रदर्श– 22, खसरा गिरदावरी सं. 2040 से 2043 प्रदर्श– 23, खसरा गिरदावरी सं. 2044 से 2047 प्रदर्श– 24, खसरा गिरदावरी सं. 2048 से 2049 प्रदर्श– 25, खसरा गिरदावरी सं. 2054 से 2057 प्रदर्श– 27, खसरा गिरदावरी सं. 2058 से 2061 प्रदर्श– 28, खसरा गिरदावरी सं. 2028 से 2031 प्रदर्श– 29, खसरा गिरदावरी सं. 2028 से 2031 प्रदर्श– 30, खसरा गिरदावरी सं. 2024 से 2027 प्रदर्श– 31, खसरा गिरदावरी सं. 2024 से 2027 प्रदर्श– 32, खसरा गिरदावरी सं. 2020 से 2023 प्रदर्श– 33, खसरा गिरदावरी सं. 2020 से 2023 प्रदर्श– 34, खसरा गिरदावरी सं. 2016 से 2019 प्रदर्श– 35, खसरा गिरदावरी सं. 2013 से 2016 प्रदर्श– 36, खसरा गिरदावरी सं. 2009 से 2012 प्रदर्श– 37, खसरा गिरदावरी सं. 2016 से 2019 प्रदर्श– 38, भू–प्रबन्ध विभाग का मुदकमा नम्बर 2150/83 उपवानी रामेश्वर बर्गे. पि0 पिरूराम प्रदर्श–39, भू–प्रबन्ध विभाग का आज्ञा पत्र 1150/83 प्रदर्श– 40, प्रार्थना पत्र श्री रामेश्वर पुत्र पीरूराम जाति माली प्रदर्श– 41, चालान नम्बर 106 प्रदर्श– 42, चालान नम्बर 106 प्रदर्श– 43, तहसीलदार का पत्र प्रदर्श– 44, बिचौती पत्र दिनांक 20.12.1971 प्रदर्श– 45, शपथ पत्र पालाराम प्रदर्श– 46, रसीद पटवारी 6641 प्रदर्श – 47, रसीद सं. 25755 प्रदर्श– 48, रसीद संख्या 73350 प्रदर्श– 49, रसीद संख्या 2983 प्रदर्श– 50, रसीद संख्या 14490 प्रदर्श– 51, रसीद संख्या 145[illegible] [illegible] 52, रसीद संख्या 22293 प्रदर्श– 53, रसीद संख्या 42842 प्रदर्श– [illegible] रसी[illegible] संख्या 23302 प्रदर्श– 55, रसीद संख्या 090761 प्रदर्श– 56 रसीद संख्या [illegible]47 प्रदर्श–57, रसीद संख्या 020957 प्रदर्श– 58, रसीद [illegible] संख्या 64741 प्रदर्श– 60, रसीद संख्या 013072 [illegible]–1 रामेश्वर, शपथ पत्र PW–2 बेगराज पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

(4). प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जांच रिपोर्ट के साथ प्रदर्श 1लगायत 11 दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

(5). तनकी कायम की गई।

1. आया वाद वादीगण वाके ग्राम सिंधाना के खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94है. का बहिस्सा बराबर खातेदार कास्तकार धोंषित करवाने के अधिकारी है?

—— भार वादीगण

2. अनुतोष?

बहस सुनी गई।

(6). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखिय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। (1). वाके ग्राम सिंधाना साबिक तहसील खेतड़ी हाल तहसील बुहाना की जमाबंदी सम्वत् 2012–15 (प्रदर्श–2) के अनुसार सम्वत् 2012 में साबिक आराजी गत खसरा नम्बर 1078 रकबा 58 बीधा 19 बिस्वा गै.मू.टीबा की भूमि शेरखान पुत्र इमामुदीन लुहार निवासी सिंधाना के नाम थी जिसमें 6 बीधा 1 बिस्वा भूमि वादीगण ने लगान के करार पर सं. 2011 में ली थी उसके बाद से लगातार काबिज रहे है। वर्तमान में भी वादीगण काबिज है। (2).वादीगण की निर्धारित लगान राशि राजकोष में शीर्षक रसीद संख्या पटवारी 6641 प्रदर्श – 47, रसीद सं. 25755 प्रदर्श– 48, रसीद संख्या 73350 प्रदर्श– 49, रसीद संख्या 2983 प्रदर्श– 50, रसीद संख्या 14490 प्रदर्श– 51, रसीद संख्या 14518 प्रदर्श– 52, रसीद संख्या 22293 प्रदर्श– 53, रसीद संख्या 42842 प्रदर्श– 54, रसीद संख्या 23302 प्रदर्श– 55, रसीद संख्या 090761 प्रदर्श– 56, रसीद संख्या 030447 प्रदर्श–57, रसीद संख्या 020957 प्रदर्श– 58, रसीद संख्या 48971 प्रदर्श– 59, रसीद संख्या 64741 प्रदर्श– 60, रसीद संख्या 013072 प्रदर्श–61जमा करवा दिया था , इसलिए उसी रोज से वादीगण इस वादग्रस्त भूमि के मालिक खातेदार काश्तकार बन चुके थे। (3). वाद वर्णित भूमि का भू– प्रबंधक विभाग के मुदकमा नम्बर 1150/1983 (प्रदर्श– 39, 40) उनवानी रामेश्वर आदि पि0 पीरूराम ने कस्टोडियन कि खसरा नम्बर 1944 पर खातेदारी चाहे जाने पर चालान द्वारा निर्धारित राशि (प्रदर्श– 42, 43) वादीगण के नाम से जारी की गई। जो साबित व प्रमाणित है। (4). मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–10, 11 है। वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श—1 लगायत 3 है। जिसके अनुसार साबिक गत खसरा नम्बर 1076/3 एवं 1078/3 के हाल बन्दोबस्त ने खसरा नम्बर 1944/2 रकबा 0.94 है. कायम किये उसके बाद जब सिंधाना से नया राजस्व ग्राम ढाणा सृजित किया गया तो बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 1944/2 के नये खसरा नम्बर 148 बनाये गये। ग्राम सिंधाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 1078 रकबा [illegible] की भूमि शेरखान पुत्र इमामुदीन लुहार निवासी सिंधाना के नाम [illegible] बीधा 1 बिस्वा भूमि वादीगण ने लगान के करार पर सं. 2011 में ली थी उस[illegible] से लगातार काबिज रहे है। वर्तमान में भी वादीगण [illegible] राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागु हुआं तो वा[illegible] कास्तकारी अधिनियम के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला–झुंझुनूं (राज.)

इस भूमि के खातेदार बन गये थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह भूमि शेर खान पुत्र इमामुद्दीन के नाम दर्ज रही । लेकिन मौके पर वादीगण का निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज रहे है। लगान जमा कराते रहे। पहले शेर खान को लगान का भुगतान किया उसकी मृत्यु के बाद राज्य सरकार को लगान का भुगतान करते रहे है। (5). कब्जा काश्त के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी सं. 2040 से 2043 प्रदर्श– 23, खसरा गिरदावरी सं. 2044 से 2047 प्रदर्श– 24, खसरा गिरदावरी सं. 2048 से 2049 प्रदर्श– 25, खसरा गिरदावरी सं. 2054 से 2057 प्रदर्श– 27, खसरा गिरदावरी सं. 2058 से 2061 प्रदर्श– 28, खसरा गिरदावरी सं. 2028 से 2031 प्रदर्श– 29, खसरा गिरदावरी सं. 2028 से 2031 प्रदर्श– 30, खसरा गिरदावरी सं. 2024 से 2027 प्रदर्श– 31, खसरा गिरदावरी सं. 2024 से 2027 प्रदर्श– 32, खसरा गिरदावरी सं. 2020 से 2023 प्रदर्श– 33, खसरा गिरदावरी सं. 2020 से 2023 प्रदर्श– 34, खसरा गिरदावरी सं. 2016 से 2019 प्रदर्श– 35, खसरा गिरदावरी सं. 2013 से 2016 प्रदर्श– 36, खसरा गिरदावरी सं. 2009 से 2012 प्रदर्श– 37, खसरा गिरदावरी सं. 2016 से 2019 प्रदर्श– 38,, पेश की है। जिसमें लगातार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पहले से ही साबिक खातेदार वादीगण का निर्बाध, शान्तिपूर्वक, कब्जा काश्त होना साबित व प्रमाणित है। लगान रसीद, ए.एस.ओ का निर्णय सभी वादीगण का कब्जा काश्त होना साबित करते है। वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2021 को तहसीलदार बुहाना से ली गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 23. 06.2021 के अनुसार वाद वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। बिजली का कनेक्शन है। (6). प्रस्तुतः समस्तः दस्तावेजो से उनका कब्जा काश्त साबित होता है। लगान बकाया नहीं है। उपरान्त भी वादीगण की खातेदारी रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ है। (7). ग्राम सिंधाना के हाल खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 है. की खातेदारी शेरखान पुत्र इमामुद्दीन जाति लुहार निवासी सिंधाना के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो गत खसरा नम्बर 1076/2 व 1078/3 से बना है। गत गिरदावरी सं. 2008 से 2033 तक वादीगण के परिवार के सदस्यों के नाम से गिरदावरी में अंकित है। आज दिनांक को भी वादीगण का कब्जा कास्त है। मौके पर खसरा नम्बर 148 में पुराना मकान बना हुआं है। जो वादीगण का ही है। खसरा नम्बर 148 के पडौसी खेत के खातेदारो ने भी वादीगण का कब्जा होना बताया। (8). राज्य सरकार के परिपत्र कमांकः प01(15)राजस्व/पुर्नवास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.2009 के अन्तिम पैरा के अनुसार ऐसी भूमि जिनमें राशि जमा हो चुके है, किन्तु इन्तकाल नहीं खुले है/राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में सामान्यत राजस्व प्रक्रिया के तहत इन्तकाल दर्ज किए जावे। तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की कार्यवाही सम्पादित की जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पहले से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बुहाना ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि साबिक भूमि पर वादीगण का कब्जाकास्त है। वादीगण का कब्जा, भू–प्रबन्ध [illegible] तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से साबित है। ऐसी स्थिती में प्रतिवादी [illegible] के अभिकथन से साबित है कि वादीगण को खातेदारी [illegible] विधिक प्रकिया के तहत खातेदार पूर्व में हो चुके है। [illegible] दस्तावेजी साक्ष्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

से साबित किया है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सिंघाना के हाल खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 है. में शेरखां पुत्र इमामुद्दीन का नाम हजफ कर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकार्ड में अमल किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06-12-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–55/2019
निर्णय दिनांक :–06.12.2021

रामेश्वर आदि **बनाम** शेरखान आदि

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 2 की ओर से **तहसीलदार बुहाना** की, उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06.12.2021** को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सिंघाना के हाल खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 है. में शेरखां पुत्र इमामुद्दीन का नाम हजफ कर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकार्ड में अमल किए जाने के आदेश दिए जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06.12.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.) ★

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested